रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09122025-268368
CG-DL-E-09122025-268368

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5502] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 9, 2025/अग्रहायण 18, 1947
No. 5502] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 9, 2025/AGRAHAYANA 18, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5690(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3082 (अ) तारीख 30.06.2025 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 10.07.2025 में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र राज्य में मुंबई – नागपूर – झारसुगुडा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के खंड नागपूर – जबलपुर पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

मुंबई–नागपुर–झारसुगुडा प्राकृतिक गैस पाइप लाइन

अनुभाग – नागपुर–जबलपुर

अनुसूची

राज्य : महाराष्ट्र

जिला	तालुका	गॉव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5		
नागपूर	हिंगणा	किन्ही (धानोली)	20	00	21	76
नागपूर	क्लमेष्वर	हरदोली	49	00	15	19
नागपूर	सावनेर	आष्टी (खु)	7	00	16	74

[फा. सं. एल–14014/4/2024–जीपी–II(ई–48898)]

रामजी लाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2025

S.O. 5690(E).— Whereas by Notification of Government of India, in Ministry of Petroleum & Natural Gas vide S.O. No 3082(E) dated 30.06.2025; issued under sub - section (1) of section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of right of users in land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated 10.07.2025, the Government of India declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Pipeline for transportation of natural gas through Mumbai – Nagpur – Jharsuguda (Section:- Nagpur - Jabalpur) pipeline in the State of Maharashtra by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered of by the Competent Authority;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section (6) of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section (6) of the said Act, the Government of India hereby declares that the Right of User in the said lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of powers conferred by sub section (4) of the Section (6) of the said Act, Government of India hereby directs the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on the this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

Mumbai-Nagpur-Jharsuguda Natural Gas Pipeline						
Section - Nagpur - Jabalpur						
SCHEDULE						
State : Maharashtra						
District	**Taluka**	**Village**	**Survey No.**	**Area**		
				Hect.	**Are**	**Sq. mtr.**
1	**2**	**3**	**4**	**5**		
Nagpur	Hingna	Kinhi (Dhanoli)	20	00	21	76
Nagpur	Kalmeshwar	Hardoli	49	00	15	19
Nagpur	Saoner	Ashti (Khu)	7	00	16	74

[F. No. L-14014/4/2024-GP- II (E-48898)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.12.09 22:04:53 +05'30'